न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2021 अपील (रसद)

श्रीमती अनीता पत्नी स्व. वेदप्रकाश जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 16, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध आदेश क्रमांक :–रसद/अभि./2021/29683
दिनांक 17.06.2021 बअनवानी राजस्थान राज्य बनाम
अनीता देवी न्यायालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

उपस्थितः–

1. श्री अनुभव सिडाना, अधिवक्ता–अपीलार्थीया।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांकः–22.09.2022**

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बअनवानी प्रकरण स्टेट बनाम अनीता देवी में पारित आदेश क्रमांक 29683 दिनांक 17.06.2021 को अपास्त कर अपीलार्थीया के प्राधिकार पत्र को बहाल करवाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 के अन्तर्गत ग्राम चाईया के राशनकार्ड धारियों को राशन सामग्री वितरण करने हेतु प्राधिकार पत्र संख्या–332/1986 जारी करवाया हुआ है। अपीलार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थी संख्या–1 के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि प्रार्थीया औरत जात है एवं समाज के कमजोर वर्ग की सदस्या है। अपीलार्थीया को राानकार्ड धारियों को सामग्री वितरण करने हेतु पारस पुत्र श्री विजय कुमार निवासी रावतसर को सहायक नियुक्त किया जावे। प्रत्यर्थी ने अपने कार्यालय आदेश क्रमांकः–रसद/अभि./2020/6065 दिनांक 17.07.2020 को यह आदेश जारी किया कि "उचित मूल्य दुकानदार अनिता देवी ग्राम पंचायत चाईया तहसील रावतसर द्वारा अपने स्वास्थ्य कारणों से राशन वितरण कार्य में सहायक नियुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय हाजा एवं खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ.97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 दिनांक 07.05.2001 की पालना में उचित मुल्य दुकानदार अनिता देवी के प्रार्थना पत्र अनुसार श्री पारस पुत्र विजय कुमार निवासी रावतसर को सहायक नियुक्त किया जाता है।" प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीया को बिना सुने एवं अपने कार्यालय के आदेश दिनांक 17.07.2020 का अवलोकन किये बिना आदेश दिनांक 17.06.2021 जारी कर यह अभिकथन किया कि अनिता देवी द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर सम्बन्धित प्राधिकार–पत्रधारी द्वारा संचालन नहीं किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है एवं इसी आधार पर अपीलार्थीया का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया, जिससे

विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 कतई गलत, विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थी के कार्यालय से कार्यालय आदेश क्रमांक 6065 दिनांक 17.07.2020 को पारस पुत्र विजय कुमार निवासी रावतसर को सहायक नियुक्त किया हुआ है एवं आदेश दिनांक 17.07.2020 आज तक अपास्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 17.06.2021 कतई गलत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का देवर व अन्य रिस्तेदार दिल्ली निवास करते हैं। प्रार्थीया अपने देवर के पास मिलने हेतु दिल्ली गयी हुई थी। मात्र इसी आधार पर यह अभिकथन करना कि अपीलार्थीया दिल्ली निवास करती है एवं इस आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित करना कतई गलत एवं मनमाना आदेश है। कि प्रार्थीया के पति के नाम से तहसील नोहर के ग्राम कानसर में संयुक्त खाते की कृषि भूमि है जिसकी देखभाल अपीलार्थीया करती है। प्रार्थीया का आवासीय पट्टा रावतसर में स्थित है जिसका विद्युत सम्बन्ध अपीलार्थीया के पति के नाम से है। अपीलार्थीया वर्तमान में इसी मकान में निवास कर रही है। अपीलार्थीया का पेन कार्ड संख्या–BIRPD8372E व राशनकार्ड नगरपालिका रावतसर का बना हुआ है एवं अपीलार्थीया ने एक्सीस बैंक शाखा रावतसर में अपना खाता खुलवाया हुआ है जिसमें रूपयों का लेनदेन करती है। अपीलार्थीया रावतसर में निवास बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है। विधि का यह प्रावधान है कि दस्तावेजी साक्ष्य के समक्ष मौखिक साक्ष्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। अपीलार्थीया रावतसर के वार्ड नं. 16 में राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक के साथ चिपते हुए मकान में निवास कर रही है। प्रत्यर्थी ने बिना कोई जांच किये अपीलार्थीया का प्राधिकारपत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। ऐसा आदेश कतई गलत एव मनमाना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह प्रावधान है कि अगर किसी प्राधिकारपत्रधारी के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण के बाबत् आरक्षी केन्द्र में कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया जावे तो भी तब तक प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं होता तब तक प्राधिकार पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी ने बिना कोई जांच किये मनमाना आदेश पारित कर दिया। विधि का यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तृस्कृत नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थीया का प्राधिकार पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांकः–रसद/अभि./2021/29683 दिनांक 17.06.2021 निरस्त किया जाकर अपीलार्थीया का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2021 कतई गलत, विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत एवं मनमाना होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थी के कार्यालय से कार्यालय आदेश क्रमांक 6065 दिनांक 17.07.2020 को पारस पुत्र विजय कुमार निवासी रावतसर को सहायक नियुक्त किया हुआ है एवं आदेश दिनांक 17.07.2020 आज तक अपास्त नहीं किया गया है। उक्त सहायक वरवक्त निरीक्षण कार्य कर रहा था जो कि जिला रसद अधिकारी की जाँच रिपोर्ट से स्वंय स्पष्ट होता है। प्रार्थीया का देवर व अन्य रिस्तेदार दिल्ली निवास करते हैं। प्रार्थीया अपने देवर के पास मिलने हेतु दिल्ली गयी हुई थी। मात्र इसी आधार पर यह अभिकथन करना कि अपीलार्थीया दिल्ली निवास करती है एवं इस आधार पर प्राधिकार पत्र निलम्बित करना कतई गलत एवं मनमाना आदेश है। प्रार्थीया के पति के नाम से तहसील नोहर के ग्राम कानसर में संयुक्त खाते की कृषि भूमि है जिसकी देखभाल अपीलार्थीया करती है। प्रार्थीया का आवासीय पट्टा शुदा मकान रावतसर में स्थित है जिसका विद्युत सम्बन्ध अपीलार्थीया के पति के नाम से है। अपीलार्थीया वर्तमान में इसी मकान में निवास कर रही है। अपीलार्थीया के समस्त दस्तावेजात् नगरपालिका रावतसर के बने हुए हैं। अपीलार्थीया की तीन पुत्रीयां हैं जिसमें एक विवाहित व 2 नाबालिग हैं जिनके भरण–पोषण का एकमात्र साधन उक्त उचित मूल्य की दुकान है। विधि का यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार को

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तृष्कृत नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थीया का प्राधिकार पत्र निलम्बित करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 17.06.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि दिनांक 16.06.2021 को प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थीया की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करने पर गत कुछ वर्षों से उचित मू. दुकानदार स्वयं दिल्ली निवास करना और स्वयं उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं किया जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राशन वितरण करना पाया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपील में वर्णित तथ्य कि अपीलार्थीया के नाम से उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है, इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है एवं साथ ही प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय हाजा एवं खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ.97(8) खा.वि./सा.वि.प्र./2000 दिनांक 07.05.2001 की पालना में उचित मूल्य दुकानदार श्रीमती अनिता देवी के प्रार्थना पत्र अनुसार श्री पारस पुत्र विजय कुमार निवासी रावतसर को सहायक नियुक्त किया हुआ है। कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ की जाँच रिपोर्ट एवं आदेश में उक्त बात स्पष्ट रूप से अंकित की गई है कि वरवक्त जाँच मौका पर पारस पुत्र विजय कुमार, सहायक कार्यस्थल पर कार्य कर रहा था। वरवक्त जाँच निरीक्षणकर्ता प्रवर्तन अधिकारी द्वारा शंकरलाल पुत्र रणजीत शर्मा नामक व्यक्ति के कहने अनुसार अपीलार्थीया का दिल्ली निवासी होना माना गया है जबकि निरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त शंकरलाल नामक व्यक्ति के न तो ब्यान लिये गये और न ही शंकरलाल नामक व्यक्ति द्वारा कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थीया के दिल्ली रहने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं निरीक्षणकर्ता प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपनी फर्द मौका जाँच में पोश मशीन में दर्ज स्टॉक के मुताबिक स्टॉक का सत्यापन किया जाकर सही पाया जाना अंकित किया गया है। उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के कार्यालय आदेश क्रमांकः–रसद/अभि./2021/29683 दिनांक 17.06.2021 जिसके तहत अपीलार्थीया का प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया, को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया का प्राधिकार पत्र पूर्ववत् बहाल किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़